निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 119/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गीता देवी पत्नी राम प्रताप डेबाना निवासी प्लाट नम्बर 20, जयश्री नगर, रोड नम्बर 14, सीकर रोड, हरमाडा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरमाडा जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी कार्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर ।

2 सचिव, ग्राम पंचायत हरमाडा जिला जयपुर जरिये आयुक्त, निगर निगम जयपुर, कार्यालय लाल कोठी, नगर निगम, जयपुर ।

3 तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 36/2020 ब उनवानी गंगाराम व अन्य बनाम प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरमाडा को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री सुमेर सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 36/2020 ब उनवानी गंगाराम व अन्य बनाम प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरमाडा दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमे पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थिया ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थीगण को दिनांक 20.11.2021को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। दिनांक 30.11.2021 को प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरमाडा उपस्थि हुये एवं सुनवाई हेतु समय चाहा इसके पश्चात अप्रार्थीण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थिया से उक्त क्षेत्र विशेष के जाति विरोधी तत्व द्वेषता रखते है जिसके चलते जाति विरोधी तत्वों द्वारा प्रार्थिया को उसकी भूमि से

जिला कलक्टर
जयपुर

बेदखल करने तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अत्याचार निवारण अधिनियम के गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करने पर प्रार्थिया के पति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2020 पुलिस थाना हरमाडा में पंजीबद्व कराई गई थी। जिसके अनुसंधान को प्रभावित करने एवं कारित अपराध से बचने के लिए अपराधियो द्वारा झूंठी शिकायत विभिन्न प्राधिकारियों को की गई । जिस पर एक शिकायत की जांच तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी आमेर श्री लक्ष्मीकान्त कटारा को प्रदत्त की गई थी। जिन्होंने राजस्व अभिलेख एवं सुस्थापित विधि को दरकिनार कर स्वयं की जाति विशेष के व्यक्तियों को लाभ देने के लिये विधि विरूद्व रिपोर्ट तत्कालीन जिला कलक्टर श्री जोगाराम को प्रदत्त की गई। जिस पर प्रार्थिया के पति द्वारा आपत्ति करने पर पुनः जांच के आदेश पारित किये गये। उल्लेखनीय है कि श्री लक्ष्मीकान्त कटारा प्रार्थिया की सम्पत्ति के सन्दर्भ में पूर्व में ही विधि विरूद्व रिपोर्ट दे चुके है एवं श्री लक्ष्मीकान्त कटारा जाति विशेष के व्यक्तियों के प्रभाव में प्रारम्भ से ही रहे है, जो हस्तगत प्रकरण के विचारण में भी विलम्ब कारित कर रहे है। उल्लेखनीय है कि श्री लक्ष्मीकान्त कटारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के पद से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के पद पर आ गये है और वर्तमान में इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे है। श्री लक्ष्मीकान्त कटारा जहां पूर्व से ही असम्यक असर में है, तो उनसे प्रार्थिया को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। श्री लक्ष्मीकान्त कटारा द्वारा तत्समय पद का दुरूपयोग करके अवैद्य कार्यवाही को अंजाम दिया गया था, जिनके विरूद्व प्रार्थिया के पति द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायत प्रेषित की गई थी, जो जांच के प्रक्रम पर है। ऐसी सूरत में जहां श्री लक्ष्मीकान्त कटारा के उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण के पद पर पदभार ग्रहण करने के पूर्व से वाद की सम्पत्ति को लेकर प्रार्थिया, प्रार्थिया के पति एवं श्री लक्ष्मीकान्त कटारा के मध्य वैचारिक मतभेद चल रहे है एवं जहां प्रार्थिया के पति द्वारा श्री लक्ष्मीकान्त कटारा के विरूद्व उच्चाधिकारियों को पूर्व में ही शिकायतें दे रखी है, तो यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया को लक्ष्मीकान्त कटारा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत यह आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष लम्बित उक्त प्रकरण को जयपुर स्थित अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थिया द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा के विरूद्व उच्चाधिकारयों को शिकायतें भी प्रेषित की गई है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 36/2020 ब उनवानी गंगाराम व अन्य बनाम प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरमाडा

जिला कलक्टर
जयपुर

को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम मे स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में उपस्थित हों।

8. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) व सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सचिन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर